

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2023 (AGRAHAYANA 22, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 दिसम्बर, 2023

संख्या 5/54/2023—2 गृह गोपनीय.— राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियय 65) की धारा 9 की उप—धारा (1) के अधीन प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित अध्यक्ष तथा सदस्यों से मिलकर बनने वाले सलाहकार बोर्ड का गठन करते हैं, अर्थात्:—

1	1	माननीय न्यायमूर्ती श्री के० सी० पुरी, (सेवानिवृत) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय	अध्यक्ष
2	2	माननीय न्यायमूर्ती श्रीमती राज राहुल गर्ग, (सेवानिवृत) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय	सदस्य
3	3	श्री पवन गिरधर, अपर महाधिवक्ता, हरियाणा	सदस्य

सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के अन्य निबन्धनों तथा शर्तों को अलग से जारी किया जाएगा।

टी०वी०एस०एन० प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 13th December, 2023

No. 5/54/2023-2HC.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 9 of the National Security Act, 1980 (Central Act 65 of 1980), the Governor of Haryana hereby constitutes an Advisory Board consisting of following Chairperson and members for the purposes of the said Act, namely:-

1	Hon'ble Justice Mr. K. C. Puri (Retd.) Punjab and Haryana High Court	Chairperson
2	Hon'ble Justice Mrs. Raj Rahul Garg (Retd.) Punjab and Haryana High Court	Member
3	Sh. Pawan Girdhar, Additional Advocate General, Haryana	Member

The other terms and conditions of the Chairperson and members of the Advisory Board shall be issued separately.

T.V.S.N. PRASAD, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Home Department.

10759—C.S.—H.G.P., Pkl.